

महत्वपूर्ण एवं खास

कोई भी दोषी नहीं

सेशल एनआर्इए कोर्ट ने सोमवार को मक़ाब्रिज ब्लास्ट मामले में सभी पांच आरोपियों को बरी कर दिया। 18 मई 2007 को हैदराबाद की इस प्रमुख मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हुए विस्फोट में 9 लोग मारे गए थे और 58 घायल हुए थे। इसके कुछ ही दिनों बाद आठ बीड को काबू करने की कोशिश में हुई पुलिस फ़ायरिंग में पांच और लोगों की जान चली गई थी। इतने संवेदनशील मामले में सारे आरोपियों का सबूत के अभाव में बरी हो जाना हमारी जांच एजेंसियों की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह अपनी तरह का अकेला मामला नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट और मक़ाब्रिज ब्लास्ट- कुछ महानों के अंतराल पर हुए ये तीन आतंकी हमले इस मामले में विशिष्ट थे कि तीनों में दक्षिणपंथी उजादी संगठन अहिंसा भारत का नाम सामने आया था। स्वाभाविक रूप से इन मामलों पर भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की चर्चे टिकी थीं। बावजूद इसके, इन तीनों मामलों में न केवल जांच की रफ़्तार सुस्त रही बल्कि इसकी लाइन भी बदलती रही और जांच की एजेंसियां भी। मालेगांव ब्लास्ट में तो खुद सरकारी वकील एनआर्इए पर आरोपियों के खिलाफ जांच-बुझकर झीला रख अनमाने का आरोप लगा चुकी है। बहरहाल, सारी आश्चर्याएँ निर्मूल मान ली जातीं, बशर्तें मुकदमा अपनी तार्किक परिपक्वता तक पहुंचता प्रतीत होता। मार हम देख रहे हैं कि स्थानीय पुलिस, सीबीआई और एनआर्इए इन तीनों एजेंसियों से गुज़ते हुए 11 साल बाद मामला जब फैसले के मुकाम तक पहुंचता तो अदालत इसी नतीजे पर पहुंची कि उसे सबूत नहीं मुहैया कराए गए। यानी सीधा सवाल जांच एजेंसियों की गुणवत्ता पर है। क्या जांच के दौरान उन्हें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि जिन्हें उन्होंने पकड़ा है, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं, लिहाजा उन्हें इस संभावना पर भी काम करना चाहिए कि वार्सविक अपराधी उनकी पहुंच से दूर न जा रहे हों अगर ऐसा था तो जांच की कोई और लाइन फ़क़तने से उनको किसने रोका था दूसरी संभावना यह हो सकती है कि एजेंसियों ने वार्सविक अपराधियों को ही पकड़ा था, लेकिन उनका खिलाफ ठोस सबूत ढूँढना उनके अर्जेंट पर ही नआ आ पाया। अगर ऐसा है तो यह कहीं ज्यादा गंभीर मामला है और इसके नुक़सान इस देश को बाद में भी उठाने पड़ेंगे। इतने सारे निर्दोष लोगों की हत्याओं की सजा किसी को भी न मिले, यह खुद में इतना बड़ा कलंक है, जिससे मुक़ होने में भारत को लंबा वक़्त लगेगा। काफी समय से भारत को एक सॉफ़्ट स्टेट (कमजोर या पिछपिला राज्य) कहा जाता रहा है, जिसका अर्थ यह है कि समाजिक अपराधों से सख़ी के साथ निपटने, दोषियों को अंजाम तक पहुंचाने की कड़े परंपरा हमारे यहां नहीं बन पाई है। अफ़सोस कि इन तीनों हत्याविवादक घटनाओं में हमारी जांच एजेंसियों की नाकामी हमारी इस तकलीफ़देह ख़्वि को और मजबूत बनाएगी।

जीवन का अभिषेक

एक बार संत एकनाथ अपने शिष्यों के साथ काशी से रामेश्वर की यात्रा पर जा रहे थे। उनके हाथ में कर्मडल था, जिसमें गांजुल भरा हुआ था। गांजी का मीसम था। मीला तक पानी नहीं मिलता था। संत एकनाथ ने देखा कि एक गधा यात्र से तड़क कर मरने वाला था। उन्होंने पानी का कर्मडल उसके मुँह में डलवा दिया। गधा घ्रास बुझने के बाद उत्कण्ठ खड़े हो गया। शिष्यों ने जब यह देखा तो वा संत एकनाथ से बोले-यह आपने क्या कर दिया। अत्र भगवान शिव का अभिषेक कैसे होगा। एकनाथ जी बोले-अरे क्या तुमने नहीं देखा, स्वयं देवाधिपति रामेश्वर (शिव) ही तो इस जीव के रूप में आए थे। किन्तु कृपाएं हैं वे, स्वयं ही आ गए और वहां तक जाने का कष्ट ही नहीं दिया। और अत्याचारियों का विध्वंस कर उन्हें दंडित करने के लिए शस्त्र उठकर, हिंसा-क़िताब बरबाद करने को तयार हुआ।

वास्तु टिप्स



दीवार पर टंगी घड़ी तय करती है आपका अच्छा और बुरा स्वतंत्र

घड़ियों ना ही सिर्फ हमें समय बताती हैं, बल्कि हमारे अच्छे-बुरे समय में भी योगदान देती हैं। जी हाँ, पर आँफिस में दीवार पर टंगी घड़ी आपका रुक के बारे में बहुत कुछ कहती है। इन्हें अगर सही दिशा में लगाया जाए तो यह अच्छे समय लेकर आती है, वहीं गलत दिशा में लगी घड़ी आपका लिए बुरा वक़्त ला सकती है। जानें क्या कहता है वास्तु घड़ियों के बारे में कहते हैं घड़ी कभी किसी को तोहफ़े में नहीं देनी चाहिए। इसे तोहफ़े में देकर आप उसे अपना अच्छा और बुरा समय दोनों दे रहे हैं। जब हम ये गिफ़्ट में देते हैं तो वह समय बंध जाता है, और वही सामने वाले के पास पहुंचता है।दक्षिण मुख घड़ी सभी काम करने अशुभ माना गया है। घड़ी को भी कभी दक्षिणी दीवार पर नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि दक्षिण गम की दिशा कहीं जाती है।फेगण्डु में कला गया है कि इस दिशा में घड़ी लगाने से राह में अड़बटें आती है।

बंद हो बौद्धिक विलासिता का बिटकॉइन

भरत झुनझुनवाला

रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को आदेश दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक करेंसी जैसे बिटकॉइन में वे व्यापार न करें। इस इलेक्ट्रॉनिक करेंसी का इजाजत कुछ लोगों ने यह सोच कर किया था कि सरकार द्वारा बनाई गई करेंसी के अतिरिक्त लेन-देन का कोई दूसरा माध्यम बनाया जाये। लेकिन रिजर्व बैंक के प्रतिबन्ध से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार के ऊपर होकर नहीं चला जा सकता। पहले यह समझें कि इलेक्ट्रॉनिक करेंसी क्या है? मान लीजिये एक कमरे के अन्दर 100 सुइचक के खिलाड़ी अलग-अलग क्यूबिकल में बैठ जाते हैं और किसी सुइचक को हल करने का प्रयास करते हैं। जो खिलाड़ी सबसे पहले सुइचक को हल करता है, वह घोषित करता है और बाकी सभी 99 स्वीकार करते हैं कि उसने सबसे पहले उस सुइचक को हल किया। ये 99 उसे



खिलाड़ी इस नये सुइचक को सबसे पहले हल कर दे, उसे पुनः इनम स्वरूप एक बिटकॉइन दे दिया जाता है। इस प्रकार एक नई करेंसी प्रचलन में आ जाती है। इसी प्रकार कंप्यूटरों के खिलाड़ियों द्वारा बिटकॉइन बनाया जाता है। शुरू में दस कंप्यूटरों ने कोई पहली बनाई और एक सुपर कंप्यूटर ने इस पहली को आपस में जोड़कर सबसे ज्यादा कठिन पहली बनाई। फिर दस कंप्यूटर चालकों ने इस कठिन पहली को हल करने का प्रयास शुरू किया। इन दस कंप्यूटर चालकों में से, जिसने सबसे पहले उस पहली को हल किया, उसने शेष सभी कंप्यूटरों को सूचित किया कि मैंने पहली को हल कर लिया है। शेष कंप्यूटरों ने उसके द्वारा दिये गये हल को जांचा और सबने पाया कि हाँ वह पहली वास्तव में हल हो गई है। सबने अपनी स्वीकृति दे दी।

खेल-तमाशा और सवाल-जवाब

आलोक पुराणिक

सवाल-इतना शू-शां, फू-फां और कहीं भी कोई रिर्काई में गिनती नहीं। आईपीएल के रिर्काई विश्व क्रिकेट के आधिकारिक रिर्काई में नहीं रखे जाते। मतलब फिर आईपीएल का मतलब क्या है जवाब-यह सवाल बहुत खतनाक सवाल है। संसद में विकेट फू-फां, शू-शां होती है। ऐसा बवाल होता है कि ताकीद करनी पड़ती है कि कुछ भी रिर्काई पर न जायेगा। हज़र हंगामा कोई रिर्काई नहीं, यह संसद में भी होता है और आईपीएल में भी। तो क्या फर्क पड़ता है। आईपीएल भी चल रहा है और संसद भी। सवाल-आईपीएल अगर क्रिकेट टूर्नामेंट है तो इसमें डंस क्यों होते हैं? जवाब-इस सवाल का जवाब अगर मोदी समर्थक शैली में दें तो यह होगा कि मोदीजी की नीतियों की सफलता से देश में खुशी का माहौल है। इसीलिए विदेशी डंसर नाच रहे हैं, इसका मतलब है कि मोदी की नीतियों में सफलता की धमक विदेशों में भी पहुंच रही है। सवाल का जवाब अगर मोदी विरोधी शैली में दिया जाये तो जवाब यह है कि यह डंस राखल गंधी की हाल की सफलताओं का



सेलिब्रेशन है। के जराबलाजी इस डंस पर कुछ न बोलेंगे। यह रिर्फर् माफ़ी मांग लेंगे, डंस से भी और डंसर से भी। सवाल-यह तो कतई नेता वाला जवाब हो गया। सब कुछ बात भी क्या गया और कुछ भी नहीं बताया गया। यह बतायें कि आईपीएल नामक क्रिकेट टूर्नामेंट में डंस क्यों होते हैं जवाब-डंस का इस मुलुक में घणा महत्व है। राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में जनता को रोके रखने के लिए डंस करवाये जाते हैं। जनता डंस देखने जाती है, नेता समझता है कि वह अति ही लोकप्रिय है। इसी तरह से आईपीएल के कई मैचों में पब्लिक डंस देखने चली जाती है। क्रिकेट समझ सकते हैं कि क्रिकेट देखने आ रही है कल्पना। इस तरह से कल्पनयुक्त से डंस कर रहे हैं। संसद की कार्यवाही पछिते दिनों लगातार ठप रही। जनता का भरोसा संसदीय प्रणाली से उठता जा रहा है। संसद में कार्यवाही

सुखे के 900 साल

लेह-लद्दाख़ की त्पो-मोरींगी झील में पांच हजार साल पुरानी मिट्टी की तहों के ज़ोरि मौंसून पैटर्न का अध्ययन करने के बाद आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता के खतमे को का विचित्र कारण बताया है। उनका कहना है कि लगभग 4350 साल पहले सिंधु घाटी में नौ सौ साल लंबा सूखा पड़ा था। मजबूत की बात है कि नौ सौ तो क्या, सौ-पचास साल लंबे सूखे का भी कोई जिक्र हमें किसी वेद-पुराण में नहीं मिलता। लेह-लद्दाख़ की झील में मौजूद मौंसून के निशान बताते हैं कि इतनी लंबी अवधि तक उत्तर-पश्चिम हिमालय में बारिश न के बराबर हुई और इसके चलते पंजाब की जो नदियां पानी से भरी रहती थीं, वे सब सूख गईं। सिंधु घाटी की सभ्यता कभी नहीं नदियों से गुलनार रही होगी। मौंसून की इस स्थायी बेरुखी के चलते सिंधु घाटी में बसे लोग पुरब की गंगा घाटी में और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। आईआईटी खड़गपुर के भूविज्ञान और भूभौतिकी विभाग के वैज्ञानिकों ने पाया कि नौ सौ साल लंबा यह सूखा लगभग 2,350 ईसा पूर्व से शुरू होकर 1,450 ईसा पूर्व तक चला। दुख की इतनी लंबी अवधि की कोई यह व्यास और वार्सविक जैसे हमारे महाकवि भी नहीं लगा पाए, जिनकी लाहौर भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में समझदुत है। बताया जाता है कि महाभारत में जिस समय का जिक्र है, वह 3100 से 1200 ईसा पूर्व का है, पर इतने वसहनीय सूखे का कोई जिक्र महाभारत में भी नहीं मिलता है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक अखिलत में रहे वैदिक काल को किसी ऋषि ने भी इसकी कोई भनाक नहीं मिलती है। वैज्ञानिकों की यह रिस्चर्च बीसवीं सदी में पेश की गई उस धारणा को भी सीधो चुनौती देती है कि 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक चली सिंधु सभ्यता का पराभव किसी दो सौ साल लंबे सूखे से हुआ था। जाहिर है, आईआईटी खड़गपुर के इस शोध को कड़ी कसौटियों पर परखा जाएगा। मसलन, यह सवाल भी उठेगा कि इतने लंबे सूखे के निशान दक्षिण-पश्चिम एशिया के बाकी भूगोल में क्यों नहीं दर्ज किए जा सके एक बात तो तय है।

पराक्रमी परशुराम सन्निय विरोधी नहीं थे

पराक्रम के प्रतीक भगवान परशुराम का जन्म 6 उच्च श्रेष्ठ के योग में हुआ, इसलिए वह तेजस्वी, ओजस्वी और वरुन्स्वी महापुरुष बने। प्रतापी एवं माता-पिता भक्त परशुराम ने जब पिता की आज्ञा से माता का गला काट दिया, वहीं पिता से माता को जीवित करने का वरदान भी मांग लिया। इस तरह हवी, क्रोधो और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले परशुराम का लक्ष्य मानव मात्र का हीत था। परशुराम ही थे, जिनके इशारों पर नदियों को दिशा बदल जाया करती, अपने बल से आर्यों के शत्रुओं का नाश किया, हिमालय के उत्तरी भू-भाग, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कश्यप भूमि और अरब में जाकर शत्रुओं का संहार किया। उसी फारस जिसे पार्शिया भी कहा जाता था, का नाम इनके फारसे पर किया गया। उन्होंने भारतीय संस्कृति को आर्यन यानी ईरान के कश्यप भूमि क्षेत्र और आर्यक यानी इराक में नई पहचान दी। गौतलजब है कि पार्शियन भाषी पार्शिया परशुराम के अनुयायी और अहिंसापूजक कहलाते हैं और परशुराम से इनाक संबंध जोड़ा जाता है। अब तक भगवान परशुराम पर जितने भी साहित्य प्रकाशित हुए हैं, उनसे पता चलता है कि मुंबई से कन्याकुमारी तक के क्षेत्रों को 8 कोणों में बाँटकर

परशुराम ने प्राप्त बनाया था और इस्क्री का रक्षा की प्रतिज्ञा भी ली थी। इस प्रतिज्ञा को तब की अन्यायी राजतंत्र के क्रिस्ट बड़ा जनसमर्थक कहा गया। उन्होंने राजाओं से त्रस्त ब्राह्मणों, वनवासियों और किसानों अर्थात् सभी को मिलानेकर एक संगठन खड़ा किया, जिसमें कई राजाओं सहयोग मिला। क्रोधो और अन्याय के खिलाफ कान्यकुब्ज, कनेर, सिंग के साथ ही पूर्व के प्रांतों में मगध और वैशाली भी महामुसों में शामिल थे जिसका नेतृत्व भगवान परशुराम ने किया। दूसरी ओर, सिंहवों के साथ आज के सिंध, महाप्राइ, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लाहौर, अफगानिस्तान, कंधार, ईरान और ऑक्सिस्तान के चार तक फैले 21 राज्यों के राजाओं से युद्ध किया। सभी 21 अत्याचारी राजाओं और उनके उत्तराधिकारियों तक का परशुराम ने विनाश कर दिया था, ताकि दोबारा कोई सिंर न उठा सके। भगवान परशुराम को लेकर एक आम धारणा है कि वे क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाले थे, जो पूरा सत्य नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भी भगवान परशुराम ऋषियोग के वन में ही साहित्य प्रकाशित हुए हैं, उनसे पता चलता है कि मुंबई से कन्याकुमारी तक के क्षेत्रों को 8 कोणों में बाँटकर



स्वतंत्र-निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया में बाधक

कतुआ सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड तथा ज्वाब बलात्कार कांड को लेकर खबरों में सबसे आगे रहने की होड़ में पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करने जैसे मुद्दे पर मीडिया, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, को एक बार फिर अदालत को फटकार सुननी पड़ी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई मीडिया घरानों को तलब भी कर लिया है। बीते साल तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने आपराधिक मामले में संदिग्ध व्यक्तियों के मीडिया ट्रायल पर चिंता व्यक्त की थी। न्यायालय का मानना था कि पुलिस द्वारा मीडिया को जानकारी देने के बारे में दिशा-निर्देशों की जरूरत है क्योंकि मीडिया की खबरें कभी-कभी मुकदमे की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच को प्रभावित करती हैं। यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर संदिग्ध को दिखाये जाने से उसकी प्रतिष्ठ हमेसा के लिये खत हो जाती है। आखिर आपराधिक मामले को रिपोर्टिंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने और संदिग्ध व्यक्तियों के अधिकारों को ध्यान में रखने के लिये न्यायालय के कई फैसलों और न्यायिक निर्देशों के बावजूद ऐसी घटनाओं को क्यों बार-बार अधिक से अधिक



संसन्सीखेज बनाने की कोशिश की जाती है क्यों अपराध की जांच पूरी होने और आरोपियों पर मुकदमा चलने से पहले ही मीडिया उन्हें अपराधी घोषित करने का प्रयास करने लगता है क्या बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और ऐसे दूसरे अपराधों में तथ्यों की पुष्टि के बगैर ही उन्हें जनता के सामने लाकर समूची न्याय प्रशासन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास तो नहीं किया जाता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रांड जोर से रिपोर्टिंग के मामले में यह असंतुलन अवसर देखा जा सकता है। ऐसे सवालों पर मंथन के दौरान न्यायालय की उस दिष्णगी में भी गौर करना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि मीडिया अद्वयल का मुद्दा किसी भी आपराधिक मामले की निष्पक्ष जांच और मुकदमे की सुनवाई के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार से भी जुड़ा है। बेहतर हो अगर ऐसी घटनाओं की खबरें देते समय संतुलन बनाये रखकर अदालत के आक्रोश से बचा जा सकता है। मई, 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बोफोर्स तोप सौदा दलाली कांड को भी बल्कि आरोपी को